(81)

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर शिविर, भोपाल

PBR/ निगरानी/राजगढ़/भू-रा/2017/4932 प्र.कं................/17-18

1. कुमेर सिंह (मृत)
   द्वारा– विधिक उत्तराधिकारी
   अ) फूलकुंवरबाई पत्नि वयस्क
   ब) गजरासिंह पुत्र वयस्क
   स) छगन कुंवर पुत्री वयस्क
   द) तेज कुंवर पुत्री वयस्क
   ई) सोनार सिंह पुत्र वयस्क
   सभी निवासीगण– ग्राम कुरावर
   तहसील नरसिंहगढ़ जिला–राजगढ़(म.प्र.)

2. नारायण (मृत)
   द्वारा– विधिक उत्तराधिकारी
   अ) गोपाल सिंह पुत्र वयस्क
   ब) जसवंत सिंह पुत्र वयस्क
   दोनो निवासी– भोपाल

3. श्रीमती कैलाश कुंवर, वयस्क
   पत्नि स्व. केसरसिंह
4. अमरसिंह वयस्क
   पुत्र स्व. केसरसिंह वयस्क
5. मंगलसिंह वयस्क
   पुत्र स्व. केसर सिंह
   सभी निवासीगण– ग्राम कुरावर
   तहसील नरसिंहगढ़ जिला–राजगढ़(म.प्र.) ... प्रार्थीगण

विरूद्ध

1. भंवरसिंह उर्फ रमेश वयस्क
   पुत्र सोभाग सिंह निवासी– ग्राम कुरावर
   तहसील नरसिंहगढ़ जिला–राजगढ़(म.प्र.)
2. श्रीमती संतोष बाई वयस्क
   पुत्री स्व. केसरसिंह पत्नि श्री ईश्वर सिंह
   निवासी– ग्राम गंवा, चांदबड़
3. श्रीमती कृष्ण कुंवर वयस्क
   पुत्री स्व. केसर सिंह पत्नि विजय सिंह
   निवासी–ग्राम पालबंदा तहसील
   व जिला– उज्जैन
4. श्रीमती मीना कुंवर बाई वयस्क
   पुत्री स्व. केसरसिंह पत्नि श्री बबलूसिंह
   निवासी– टीलाजमालपुरा भोपाल ... प्रतिप्रार्थीगण

ब्रज किशोर श्रीवास्तव
25. हरिनिवास
तलैया, भोपाल

निगारानी अन्तर्गत धारा–50 म.प्र.भू.रां.सहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 10.10.2017 जो प्र.क्रं. 188/बी–121/2011–12 में न्यायालय श्रीमान अनुविभगीय अधिकारी महोदय तह. नरसिंहगढ़ जिला–राजगढ़ द्वारा पारित किया गया ।

महोदय,

प्रार्थीगण की ओर से निम्नलिखित तथ्यों एवं विधिक आधारें पर यह निगरानी प्रस्तुत है :–

तथ्य

01. यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, तहसील नरसिंहगढ़, जिला–राजगढ़ के न्यायालय में उभयपक्षों के मध्य एक प्रकरण क्रं. 188/बी–121/2011712 विचाराधीन है ।

02. यह कि उक्त प्रकरण में प्रतिप्रार्थीगण आवेदक है तथा प्रार्थीगण अनावेदक है। उक्त प्रकरण में अनावेदक कुमेर सिंह की मृत्यु दिनांक 07.02.2012 को हो गई है किन्तु आवेदकगण द्वारा यथासमय कुमेरसिंह के वारिसों को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था ।

03. यह कि आवेदकगण की ओर से उक्त न्यायालय मे प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश–22 नियम–4 एवं आदेश–6 नियम–17 व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश दिनांक 29.05.17 के द्वारा स्वीकार किया गया तथा मृतक कुमेरसिंह के वारिसों को सुने बगैर रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश प्रदान किये गये । जिसके सम्बन्ध में उपस्थित होकर कुमेरसिंह के वारिसो की ओर से आपत्ति प्रस्तुत की गई जो आलोच्य आदेश के द्वारा निरस्त कर दी गई है । जिससे दुखित एवं असन्तुष्ट होकर श्रीमान के समक्ष यह निगरानी निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है।

आधार

01. यह कि आदेश विद्वान अनुविभगीय अधिकारी महोदय का विधि, प्रक्रिया एवं नियम के विपरीत होने से माननीय न्यायालय के द्वारा हस्तक्षेप कर निरस्त किये जाने योग्य है ।

...3..

ब्रज किशोर ... श्रीवास्तव
एडवोकेट
25, हरि ... दुर्गा चौक
तलैया, भोपाल

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- पी.बी.आर./निग./राजगढ़/भू.रा./2017/4932

कुमेरसिंह मृतवारिस फूलकुंवरबाई आदि विरूद्ध भंवर सिंह उर्फ रमेश

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
29/5/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ के प्रकरण क्रमांक-188/बी-121/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 10/10/2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला राजगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 22/7/19 को कलेक्टर जिला राजगढ़ के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 29/5/19 सदस्य	